

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-7) विभाग

क्रमांक: प01(3)गृह-7/2018

जयपुर, दिनांक 22 FEB 2019

आज्ञा

राजस्थान नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा सेवा नियम 1976 के नियम 23(9) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा समादेष्टा के वर्ष 2018-19 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु आयोजित बैठक दिनांक 31.08.2018 की अनुशंषाओं की नियमानुसार समीक्षा आवश्यक होने के कारण दिनांक 12.02.2019 को समीक्षा (रिव्यू) बैठक आयोजित की गई।

उक्त समीक्षा (रिव्यू) बैठक में की गयी अभिशंषानुसार निम्न अधिकारी को उनके नाम के आगे अंकित वर्ष में उपलब्ध रिक्ति दिनांक को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर समादेष्टा के पद पर पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति दिनांक	पदोन्नति वर्ष
1.	श्री विकास लाम्बा	सामान्य	01.04.2018	2018-19

श्री विकास लाम्बा की वरिष्ठता श्री नवनीत जोशी (सामान्य) के नाम के नीचे एवं श्रीमती स्वाति शर्मा (सामान्य) के नाम से ऊपर निर्धारित की जाती है। पदोन्नत अधिकारी अग्रिम आदेश तक अपने वर्तमान पद पर ही कार्य करेंगे तथा इन्हें पदोन्नत पद पर वास्तविक लाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होगा।

आज्ञा से,

६०

(सूबे सिंह यादव)
शासन विशिष्ट सचिव,
गृह (आपदा प्रबंधन)

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, गृह रक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. निजी सचिव, महानिदेशक गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. संबंधित अधिकारीगण मार्फत गृहरक्षा, राजस्थान जयपुर।
8. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

शासन विशिष्ट सचिव,
गृह (आपदा प्रबंधन)